कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 07/11/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 06.11.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना बहरियाबाद पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 05 किलो 600 ग्राम नाजायज गाँजा (अनुमानित कीमत लगभग 01 लाख 40 हजार) के साथ 01 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एंव अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 06.11.205 को थानाध्यक्ष बहारियाबाद श्री कृष्ण प्रताप सिंह व उ0नि0 मनोज कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबीर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्ता संगीता यादव उम्र करीब 38 वर्ष को उसके घर चौखड़ा (वृन्दावन) से अभिरक्षा में लिया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में 05 किलो 600 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि मेरे पति संजय यादव गांजा लाते हैं, मै उसकी छोटी-छोटी पुड़िया बनाती हूँ उसके बाद मेरे पति बेचते है । जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण 1.संगीता यादव पत्नी संजय यादव उम्र करीब 38 वर्ष 2. संजय यादव पुत्र स्व0 कुहेश यादव निवासीगण चौखड़ा (वृन्दावन) थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर के विरूद्ध थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर पर मु0अ0सं0-195/2025 धारा-8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता का विवरण -

संगीता यादव पत्नी संजय यादव उम्र करीब 38 वर्ष निवासी चौखड़ा (वृन्दावन) थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-195/2025 धारा-8/20 NDPS ACT थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

फरार अभियुक्त -

संजय यादव पुत्र स्व0 कुहेश यादव निवासी चौखड़ा (वृन्दावन) थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-195/2025 धारा-8/20 NDPS ACT थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुरॉ

बरामदगी- 05 किलो 600 ग्राम नाजायज गाँजा (अनुमानित कीमत लगभग 01 लाख 40 हजार रू0)

<u>2. थाना दिलदारनगर पुलिस की कार्यवाही - वध हेतु ले जा रहे गोवंश की बरामदगी करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 राशि जिंदा गोवंश (गाय) बरामद ।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.11.2025 को उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह चन्देल मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान महना चौराहे के पास से अभियुक्तगण 1.राम प्रवेश राम पुत्र मुन्ना राम उम्र करीब 44 वर्ष व 2. मुन्ना राम पुत्र स्व0 तलुका राम उम्र करीब 46 वर्ष के कब्जे से वध हेतु ले जा रहे 01 राशि गोवंश (गाय) बरामद किया गया । जिसके आधार पर थाना दिलदारनगर पर मु0अ0सं0 209/25 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभ्युक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्य़वाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.राम प्रवेश राम पुत्र मुन्ना राम निवासी ग्राम नवली उत्तर मोहल्ला थाना रेवतीपुर जिला गाजीपुर उम्र करीब 44 वर्ष

2. मुन्ना राम पुत्र स्व0 तलुका राम निवासी नवली उत्तर मोहल्ला थाना रेवतीपुर गाजीपुर उम्र करीब 46 वर्ष बताया

अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 209/25 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम

बरामदगी -

01 राशि जिंदा गोवंश (गाय)

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर